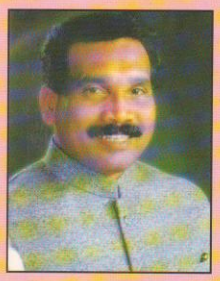

श्री मधु कोड़ा
माननीय मुख्यमंत्री, झारखण्ड

झारखण्ड सरकार

प्रो० स्टीफन मरांडी
माननीय उप-मुख्य (वित्त) मंत्री, झारखण्ड

प्रो० स्टीफन मरांडी

माननीय उप-मुख्य (वित्त) मंत्री, झारखण्ड

का

बजट भाषण

5 मार्च 2008

बजट भाषण

5 मार्च 2008

माननीय अध्यक्ष महोदय,

बजट की महत्वपूर्ण उपलब्धियों के संबंध में मैं सदन को अवगत कराना चाहता हूँ। वित्तीय वर्ष 2008–09 का सकल बजट 18 हजार 9 सौ 89 करोड़ 72 लाख रूपये प्रस्तावित है । जिसमें गैर योजना 9 हजार 3 सौ 36 करोड़ 77 लाख एवं योजना 9 हजार 6 सौ 52 करोड़ 95 लाख रूपये प्रस्तावित है । प्रस्तावित योजना उद्व्यय 9 हजार 6 सौ 52 करोड़ 95 लाख रूपये में राज्य योजना 8 हजार 15 करोड़ तथा केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना एवं योजनागत योजना में 1 हजार 6 सौ 37 करोड़ 95 लाख रूपये का बजट प्रस्तुत किया जा रहा है ।

⇒ उपर्युक्त प्रस्तावित बजट को राज्य सरकार अपने साधन स्रोत से 8 हजार 4 सौ 48 करोड़ 38 लाख रूपये केन्द्रीय करों के हिस्सा एवं केन्द्रीय सहायता से 7 हजार 3 सौ 33 करोड़ 76 लाख रूपये ऋण के माध्यम से प्राप्त संसाधन 2 हजार 1 सौ 61 करोड़ 30 लाख एवं अन्य श्रोतों से 535 करोड़ 70 लाख रूपये की प्राप्ति प्रस्तावित है ।

⇒ **राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2008–09 में कोई नया कर का प्रस्ताव नहीं दिया है परन्तु वित्तीय प्रबंधन, कर प्रबंधन आदि के माध्यम से राज्य के निजी साधन स्रोत में 27 प्रतिशत वृद्धि के साथ राजस्व प्राप्ति आंका गया है । फलस्वरूप उपलब्ध अतिरिक्त राजस्व प्राप्ति से आधारभूत संरचना एवं पूंजीगत व्यय के लिए राज्य सरकार अधिक आंतरिक संसाधन का उपयोग कर पायेगी ।**

⇒ **राज्य सरकार अपने गैर योजना बजट में मात्र 3.81 प्रतिशत वृद्धि तक सीमित करने में सफल हुई है । वित्तीय वर्ष**

2007–08 में अभी तक एक दिन भी ओभर ड्राफ्ट या वेज एण्ड मीन्स का सहारा नहीं लेना पड़ा है ।

⇒ आशा है कि राज्य सरकार पूरे वर्ष अपनी साख बनाये रखने में सक्षम हुई है । राज्य का सकल वित्तीय घाटा मात्र 2 हजार 2 सौ 85 करोड़ 98 लाख रूपये रु0 आंका गया है जो सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 3 प्रतिशत है । राज्य सरकार ने राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम को पारित कर उसका वित्तीय मापदंड वित्तीय वर्ष 2006–07 में हासिल करने में कामयाब हुई है जिसके चलते वर्ष 2007–08 एवं 2008–09 में ब्याज के भुगतान में लगभग 180 करोड़ तथा मूल की वापसी में 82 करोड़ कुल 262 करोड़ रूपये का वित्तीय बोझ कम हुआ है। इसके अलावे वित्तीय वर्ष 2006–07 एवं 2007–08 में भारत सरकार को वापस की गयी ऋण की किस्तों में लगभग 200 करोड़ की छूट प्राप्त हुई है ।

⇒ वित्त विभाग के अंतर्गत गठित **सेन्टर फार फिस्कल स्टडी** के माध्यम से राजस्व एवं व्यय का वित्तीय प्रबंधन, ऋण तथा निवेश का प्रबंधन आदि के संबंध में विशेषज्ञों के माध्यम से कार्य कराया जा रहा है ताकि तकनीकी पद्धति से राज्य सरकार अपने संसाधनों का उपयोग करे एवं ऑप्टिमम लाभ राज्य सरकार को प्राप्त हो ।

⇒ ऋण उगाही को सीमित रखने की दिशा में राज्य सरकार ने सफलता प्राप्त की है जिसके चलते वित्तीय वर्ष 2007–08 में कुल **बकाया ऋण, कुल राजस्व प्राप्ति का 146 प्रतिशत था वह घटकर 130 प्रतिशत हो गया है** । राज्य सरकार अभी भी राजस्व सरप्लस, अग्रिम गणना किये गये सकल घरेलू उत्पाद के 3 प्रतिशत से भी अधिक है ।

⇒ माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सदन के समक्ष मैं पूर्ण संतुष्टि के साथ यह बताना चाहूंगा कि झारखण्ड राज्य का चतुर्दिक विकास अंतरराष्ट्रीय मापदंड के अनुरूप करने की अपनी वचनबद्धत्ता को पूरा करने के लिए हमारी सरकार प्रयत्नशील है । विकास के सभी क्षेत्रों में विशेषकर कृषि, गामीण विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई, पर्यावरण संरक्षण, उर्जा एवं बुनियादी सुविधाओं को आम जन तक सहज रूप से उपलब्ध कराने में सरकार सफल हुई है ।

⇒ वित्तीय दृष्टिकोण से भी हमारी सरकार इतनी सक्षम है कि जन उपयोगी सारी योजनाओं को न सिर्फ आगामी वित्तीय वर्ष वरन आने वाले वर्षों में भी जन–जन तक पहुँचाने के लिए वचनबद्ध है । माननीय अध्यक्ष महोदय, आप अवगत हैं कि वर्त्तमान वित्तीय वर्ष में सरकार का यह प्रयास रहा है कि झारखण्ड राज्य में वित्तीय अनुशासन का अनुपालन हो एवं अनुत्पादक एवं अनावश्यक खर्च कम किये जा सके ताकि कल्याणकारी एवं जन उपयोगी कार्यों के लिए पर्याप्त धन राशि उपलब्ध हो सके । ऐसे ही वित्तीय अनुशासन के अनुपालन के फलस्वरूप सरकार अच्छे वित्तीय प्रबंधन की स्थिति में पहुँच पायी है। झारखण्ड राज्य को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में विकसित करने हेतू सर्वप्रथम सकारात्मक वित्तीय माहौल का होना आवश्यक है, जिससे कल्याणकारी राज्य के सिद्धांतों को आगे बढ़ाया जा सके ।

⇒ माननीय अध्यक्ष महोदय, हम सभी जानते हैं कि इस राज्य की आबादी का अधिकांश हिस्सा गाँवों में निवास करती है एवं इनकी जीविका कृषि पर ही आधारित है । **कृषि प्रक्षेत्र** हमारी सरकार की प्राथमिकता रही है । खाद्यान्न के उत्पादन को यहाँ की आवश्यकता के अनुरूप बनाये रखने के उद्देश्य से हमने कृषि प्रक्षेत्र के लिए योजना मद में 175 करोड़ रूपये का प्रावधान किया है । बीज विनियमन एवं वितरण कार्यक्रम राज्य में किसानों के

पास उपलब्ध बीज के बदले उन्नत किस्म के बीज उपलब्ध कराने हेतु चलाये जा रहे हैं । वर्ष 2007–08 में 16008.40 क्विंटल प्रमाणित बीज विनियमन के आधार पर तथा 41059.98 क्विंटल प्रमाणित बीज 90 प्रतिशत अनुदान पर एवं 2200 क्विंटल संकर धान बीज विनिमयन के आधार पर वितरित किये गये हैं । उन्नत बीज के मामले में आत्मनिर्भर होने के लिए राज्य में नौ बीज ग्राम की स्थापना की गयी है एवं 17 नये बीज ग्राम की स्थापना का कार्य प्रगति पर है।

⇒ राज्य के प्रत्येक प्रखंड में भारत सरकार के संस्था द्वारा मृदा–परीक्षण करवाये गये एवं तद्नुसार सॉयल मैप बनाया गया है । पुनः इस वर्ष प्रत्येक गांव में मिट्टी जांच कर किसानों को कृषि कार्य हेतु परामर्श देने की योजना है । डेमोटॉड, हजारीबाग में एग्रो टूरिज्म सेंटर का विकास किया गया है जहां किसानों को प्रशिक्षण देने का कार्यक्रम चलाया जा रहा है एवं वहां हर तरह की खेती के लिए प्रत्यक्षण (Demonastration) की सुविधा उपलब्ध है । पिछले कई सालों से किसानों को बेहतर कृषि उपज के लिए तकनीकी रूप से लाभान्वित किये जा रहे हैं । इस वर्ष भी किसानों को छोटे संयंत्र भी उपलब्ध कराने का कार्यक्रम है । सब्जी उत्पादक गोष्ठियों को बाजार तक सब्जी ले जाने के लिए **रेफ्रीजरेटर वाहन** उपलब्ध कराया गया है ।

⇒ जैविक खेती को बढ़ावा देने हेतु किसानों को अनुदानित दर पर बायोफर्टिलाइजर उपलब्ध कराया गया है एवं वर्मी कम्पोस्ट को बढ़ावा दिया जा रहा है । जैविक राज्य के रूप में इस राज्य को विकसित कराने की दिशा में **जैविक ग्राम** का गठन करने का कार्यक्रम है ।

⇒ **राष्ट्रीय बागवानी मिशन** के तहत दस जिलों (रॉची, लोहरदगा, लातेहार, पलामू, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला, दुमका, देवघर, हजारीबाग, चतरा) में फल उत्पादन, फूल उत्पादन, सुगंधित फूलों का उत्पादन, सब्जी उत्पादन आदि

कार्यक्रम दस लीड एन0 जी0 ओ0 के माध्यम से शुरू किया गया है । वर्तमान वर्ष में पॉच नये जिले यथा– गुमला, सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम, जामताड़ा एवं पाकुड़ में भी यह कार्यक्रम शुरू करने की योजना है ।

⇒ माननीय अध्यक्ष महोदय, कृषि से ही जुड़ा हुआ पशुपालन एवं मत्स्य पालन का प्रक्षेत्र है जिसके लिए वित्तीय वर्ष 2008–09 में 101 करोड़ रूपये का योजना उद्व्यय रखा गया है । ग्रामीण युवा शिक्षित बेरोजगारों को प्रशिक्षित कर **गोकुल मित्र** के रूप में ग्रामीण क्षेत्र में गव्य विकास संबंधी प्रचार–प्रसार का कार्यक्रम रखा गया है ।

⇒ गौरियाकर्मा, हजारीबाग में **डेयरी टेक्नॉलाजी कॉलेज** की स्थापना एवं पशुधन एवं मत्स्य अनुसंधान संस्था की स्थापना की दिशा में कार्रवाई की जा रही है ।

⇒ ग्रामीण क्षेत्र में उत्पादित दूध की समुचित बिक्री व्यवस्था के लिये **डेयरी/दुग्ध शीतक केन्द्रों की स्थापना/सुदृढ़ीकरण व संचालन** की योजना एवं ग्राम स्तर पर दुग्ध संग्रहण व इनपुट भंडारण हेतु आधारभूत संरचनाओं के विकास के लिये **गोकुल ग्राम विकास** योजना बनायी गयी है ।

⇒ वित्तीय वर्ष 2008–09 में 12 सौ लाख मत्स्य बीज उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है जिसके तहत् अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के लिए 700 लाख, गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए 300 लाख एवं विशेष अंगीभूत क्षेत्र के लिए 200 लाख मत्स्य बीज के वितरण का लक्ष्य रखा गया है। राज्य में प्रतिवर्ष लगभग 86,200 मे0ट0, मछली की मॉग है। वर्ष 2007–08 में अब तक 57,340 का उत्पादन प्राप्त हुआ । वर्ष 2008–09 में इसे बढ़ा कर 80,000 मे0ट0 तक पहुँचाने का लक्ष्य रखा गया है।

⇒ अनुसूचित जनजाति के निजी जमीन पर शत–प्रतिशत अनुदान पर 30 डीसमील तालाब का निर्माण कर उन्हें स्वरोजगार उपलब्ध कराने एवं उनके आर्थिक स्थिति में सुधार लाने हेतु योजना चलाई जा रही है। वित्तीय वर्ष 2008–09 में राज्य के जनजातीय क्षेत्र एवं गैर जनजातीय क्षेत्र के अनु0 जनजाति के निजी जमीन पर 300 तालाब निर्माण का लक्ष्य रखा गया।

⇒ इस योजनांतर्गत राज्य भर के राजस्व एवं निजी जलकरों के मिट्टी पानी की जॉच तथा समेकित मत्स्य पालन की योजना के साथ–साथ झींगा पालन की योजनाएँ क्रियान्वित की जा रही हैं। जिसके तहत् वित्तीय वर्ष 2008–09 में 150 यूनिट में मत्स्य –सह– झींगा पालन का लक्ष्य रखा गया है ।

⇒ माननीय अध्यक्ष महोदय, कृषि की उत्पादकता बगैर सिंचाई की व्यवस्था के बढ़ाना काफी कठिन है इसलिए सिंचाई प्रक्षेत्र को प्राथमिकता देते हुए वित्तीय वर्ष 2008–09 में 600 करोड़ रूपये की योजना का उद्व्यय का प्रावधान किया गया है । सिंचाई प्रक्षेत्र में वृहद सिंचाई योजनाओं से 45,000 हे0, मध्यम सिंचाई योजनाओं से 1,86,480 हे0 एवं लघु सिंचाई एवं अन्य सरकारी श्रोतों तथा निजी श्रोतों से 4,63,150 हे0 कृषि योग्य भूमि में सिंचन क्षमता का सृजन हुआ है । इस प्रकार कुल 6,94,630 हे0 भूमि में सिंचन क्षमता का सृजन हुआ है । राज्य में आठ चालू वृहद सिंचाई परियोजनाएं अपने निर्माण के विभिन्न चरणों में है । तीन नयी वृहद सिंचाई योजनाओं में से कनहर जलाशय, टहले जलाशय का सर्वेक्षण, डी0 पी0 आर0 तैयार करने की कार्रवाई प्रारंभ है तथा बुढ़ई जलाशय योजना स्वीकृति के क्रम में केन्द्रीय जल आयोग को भेजा गया है । जनावरोध के कारण बंद पड़ी सिंचाई योजनाएं – (सलैया जलाशय योजना, तोरई जलाशय योजना तथा सतपोटका जलाशय योजना) को पुनः प्रारंभ किया जा रहा है ।

⇒ राज्य के शहरी क्षेत्र में भूगर्भ जल के अति दोहन से भूगर्भ जल के स्तर में गिरावट आयी है । भूगर्भ जल के स्तर में निरंतर हो रहे ह्रास को देखते हुए **झारखंड राज्य भूमिगत जल विकास एवं प्रबंधन (नियंत्रण एवं विनियमन) विधेयक, 2006/2008** की स्वीकृति प्रक्रिया में है । **झारखंड पहाड़ी क्षेत्र उद्वह सिंचाई निगम लि0, (झालको) को वाणिज्यिक संस्था के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया गया है ताकि निगम अपना स्थापना भार स्वयं वहन कर सके ।**

⇒ माननीय अध्यक्ष महोदय, शिक्षा के बगैर समाज के सर्वांगीण विकास के लिए आधारभूत संरचना की कल्पना नहीं की जा सकती । इसलिए सरकार द्वारा **शिक्षा** प्रक्षेत्र को प्राथमिकता दी गयी है । शिक्षा प्रक्षेत्र में वित्तीय वर्ष 2008–09 में 700 करोड़ रूपये की योजना उद्व्यय प्रस्तावित है ।

⇒ **सर्वशिक्षा अभियान** एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है । वर्ष 2008–09 में इस योजना हेतु 400 करोड़ के व्यय का प्रस्ताव है । राज्य के 187 शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े प्रखंडों में 187 **कस्तूरबा आवासीय विद्यालय** स्थापित हैं एवं इन विद्यालयों में 17,736 बालिकाओं को शिक्षा प्रदान किया जा रहा है । **मध्याह्न भोजन योजना** (सरस्वती वाहिनी) के अन्तर्गत राज्य के **सभी सरकारी /सरकारी** सहायता प्राप्त विद्यालय एवं प्रस्वीकृत मदरसा में कक्षा 1 से 8 में नामांकित छात्रों को दोपहर में पका भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है । वर्ष 2007–08 में इस योजना से 35 लाख छात्र लाभान्वित हुए हैं एवं सरकार द्वारा 110.20 करोड़ रूपये राज्यांश के रूप में व्यय किया गया है । वित्तीय वर्ष 2008–09 में इस योजना पर 130 करोड़ रूपये राज्यांश प्रस्तावित है जिससे 48 लाख छात्र–छात्राएं लाभान्वित होंगे । अच्छे एवं कर्तव्यनिष्ठ शिक्षकों के प्रोत्साहन हेतु राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार योजना के अनुरूप राज्य में **शिक्षक**

पुरस्कार योजना लागू की गयी है । वर्ष 2008–09 में इस योजना पर 53 लाख रूपये के व्यय का प्रस्ताव है । छीजनग्रस्त बच्चों की विद्यालय वापसी हेतु विशेष प्रोत्साहन योजना प्रारंभ किया जा रहा है । इस योजना के अन्तर्गत पिछड़े वर्ग के छात्र–छात्राओं के लिए बीमाकरण एवं अन्य प्रकार की योजनाएं प्रारंभ की जायेंगी जिस पर वर्ष 2008–09 में पचास लाख रूपये के व्यय का प्रस्ताव है ।

⇒ 4401 उर्दू शिक्षकों की नियुक्ति हेतु कार्रवाई प्रारंभ की गयी है । **गैर सरकारी सहायता प्राप्त (अल्पसंख्यक सहित) प्रारम्भिक विद्यालयों को सरकारी विद्यालयों की भांति छठा पुनरीक्षित वेतनमान लागू किया गया । गैर सरकारी सहायता प्राप्त (अल्पसंख्यक सहित) प्रारंभिक विद्यालय के कर्मियों को सरकारी कर्मियों के भॉति मूल वेतन में महँगाई भत्ता का 50 प्रतिशत जोड़कर वेतन दिया गया है । अल्पसंख्यक सहायता प्राप्त प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत स्नातक प्रशिक्षित शिक्षकों को छठा पुनरीक्षित वेतनमान की स्वीकृति दी गयी ।**

⇒ राज्य के जनजातीय उपयोजना क्षेत्र के बारह जिलों में नवोदय विद्यालय के तर्ज पर आवासीय विद्यालयों की स्थापना की जा रही है । चालू वित्तीय वर्ष में इस योजना के प्रथम चरण में रॉची जिले के टेरो (बेड़ो प्रखंड) तथा दुमका जिले में एक आवासीय विद्यालय की स्थापना की मंजूरी दी गयी है। वर्ष 2008–09 में इस योजना पर चार करोड़ रूपये व्यय का प्रस्ताव है । सभी माध्यमिक विद्यालयों को मॉडल विद्यालय में विकसित करने की योजना के तहत 2007–08 में 126 नवउत्क्रमित माध्यमिक विद्यालयों में ''माध्यमिक विद्यालय खंड'' के निर्माण हेतु 17.70 करोड़ रूपये उपलब्ध कराये गये । वर्ष 2008–09 में इस योजना पर चालीस करोड़ रूपये व्यय का प्रस्ताव है । वर्ष 2008–09 में **तीन नये राजकीय शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय की स्थापना का प्रस्ताव**

है तथा पुराने महाविद्यालयों के संरचना विकास हेतु चार करोड़ रूपये व्यय का भी प्रस्ताव है ।

⇒ राज्य में राष्ट्रीय खुला विद्यालय (National Open School) के अनुरुप **झारखण्ड खुला विद्यालय** की स्थापना की जा रही है जिसके लिए 30.00 लाख रुपये का बजट उपबंध किया जा रहा है। राज्य के दूरगामी जिलों के माध्यमिक विद्यालयों के छात्रों को योग्य शिक्षकों के द्वारा सेटेलाईट के माध्यम से ऑनलाईन शिक्षा प्रदान करने की योजना है। इसके तहत् राज्य के विद्यालय सेटेलाईट के माध्यम से जुड़ेंगे।

⇒ **वर्ष 2008–09 से राज्य के 187 कस्तूरबा गाँधी आवासीय विद्यालयों को कक्षा 10 तक विस्तारित किया जा रहा है।** इन विद्यालयों में कक्षा 8 तक शिक्षा दी जाती है। **नीलाम्बर–पीताम्बर विश्वविद्यालय, कोल्हान विश्वविद्यालय** की स्थापना के लिए राज्य सरकार द्वारा कार्रवाई की जा रही है। केन्द्र सरकार द्वारा केन्द्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए स्वीकृति दी गयी है जिसके लिए सरकार द्वारा कार्रवाई की जा रही है ।

⇒ राज्य में गुमला जिला में सैनिक स्कूल स्थापित करने के संबंध में भारत सरकार की सहमति प्राप्त हो चुकी है । साथ ही उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न विश्वविद्यालयों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने तथा कैरियर एडवांसमेंट के लिए '**अंतर विश्वविद्यालय बोर्ड**' के गठन का भी निर्णय लिया गया है । कॉलेज एवं विश्वविद्यालय में व्याख्याताओं की नियुक्ति हेतु **विश्वविद्यालय सेवा आयोग** के गठन की स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है ।

⇒ माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य के प्रत्येक नागरिक को बेहतर **स्वास्थ्य सेवा** उपलब्ध कराना न सिर्फ एक बहुत बड़ी चुनौती है वरन लोगों की मौलिक आवश्यकता भी है । सरकार यह सुविधा उपलब्ध कराने के लिए

वचनबद्ध है । स्वास्थ्य प्रक्षेत्र को प्राथमिकता देते हुए वर्ष 2008–09 में कुल 400 करोड़ रूपये के योजना उद्व्यय का प्रावधान किया गया है ।

⇒ बेहतर स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करने के लिए आधारभूत संरचना के निर्माण को सरकार द्वारा समुचित प्राथमिकता दी गयी है । वर्तमान वित्तीय वर्ष में 370 अस्पताल के निर्माण हेतु 374.42 करोड़ रूपये की राशि स्वीकृत की गयी है तथा इस पर कार्य भी आरंभ किये जा चुके हैं । तीस शय्या वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के भवन निर्माण के लिए स्वीकृति दी गयी है तथा इसका कार्य आरंभ किया गया है । सौ शय्या वाले साहेबगंज, गुमला, लातेहार सदर अस्पताल को तीन सौ शय्या में उत्क्रमित करने का कार्य पूर्ण कर लिया गया है तथा जामताड़ा, देवघर, गोड्डा, पाकुड़, दुमका, कोडरमा, लोहरदगा, सिमडेगा, गढ़वा, चतरा, सरायकेला खरसॉवा, बोकारो, जमशेदपुर सदर अस्पताल को उत्क्रमित करने का कार्य प्रारंभ किया गया है । रॉची में सदर अस्पताल परिसर में 167 करोड़ रूपये के लागत से पॉच सौ शय्या वाले अस्पताल के निर्माण का कार्य आरंभ किया गया है । 40 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के भवन निर्माण की स्वीकृति दी गयी है जिस पर कार्य प्रारंभ किया गया है । 212 स्वास्थ्य उपकेन्द्र के भवन निर्माण के लिए 14.87 लाख रूपये प्रत्येक की लागत पर स्वीकृति दी गयी है एवं कार्य आरंभ किया गया है ।

⇒ निजी क्षेत्र के सहयोग से गढ़वा, हजारीबाग एवं जमशेदपुर दंत चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना की गयी है । **चालू वित्तीय वर्ष में दुमका तथा पलामू में नये चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना हेतु 2 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है ।** हजारीबाग आयुर्वेदिक कॉलेज की स्थापना हेतु एन0 ओ0 सी0 निर्गत किया गया है । साहेबगंज आयुर्वेदिक कॉलेज में वर्ष 2007–08 में नामांकन की प्रक्रिया आरंभ कर दी गयी है ।

⇒ सरकार द्वारा वर्ष 2008 को "**झारखंड बेटी बचाओ**" वर्ष घोषित किया गया है । **मुख्यमंत्री जननी शिशु स्वास्थ्य अभियान** के तहत लगभग 168938 महिलाएं लाभान्वित हुई हैं । नियमित टीकाकरण का प्रतिशत 34.6 से बढ़ाकर 51.9 प्रतिशत किया गया है । बिना चीरा–टांका के पुरूष नसबंदी के तहत 11,018 नसबंदी किये गये हैं । **इस उपलब्धि के लिए झारखंड को पूरे देश में पॉचवा स्थान प्राप्त हुआ है । दुर्गम एवं दूरगामी क्षेत्रों के लिए मोबाईल हेल्थ यूनिट की सेवा चलायी जा रही है ।** वर्तमान वित्तीय वर्ष तक सभी जिलों के दुर्गम क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करायी जा सकेंगी । इन क्षेत्रों में राज्य में अब तक 215 स्वास्थ्य मेला का आयोजन किया गया है जिससे 32,250 लोग लाभान्वित हुए हैं ।

⇒ राजेन्द्र चिकित्सा विज्ञान संस्थान, रॉची में 8 करोड़ रूपये के लागत पर दंत चिकित्सक महाविद्यालय एवं छात्रावास के भवन निर्माण का कार्य प्रारंभ किया गया है । केंसर पीड़ित मरीजों के उपचार हेतु 14 करोड़ रूपये लागत पर लीनियर एस्लेटर नामक यंत्र को अधिष्ठापित करने की स्वीकृति दी गयी है । रिम्स के अंतर्गत ट्रोमा केन्द्र जले हुए पीड़ित मरीजों के लिए वर्न इकाई स्थापित की गयी जिससे मरीजों को जटिल रोगों के उपचार के लिए राज्य से बाहर जाने की आवश्यकता नहीं होगी । **राज्य के विभिन्न चिकित्सा महाविद्यालयों मे एम0 बी0 बी0 एस0 की पढ़ाई हेतु सीटों की संख्या में बढ़ोत्तरी की गयी है । रॉची में 150, धनबाद में 100, तथा जमशेदपुर में 100 सीटें नामांकन के लिए उपलब्ध हैं ।**

⇒ वर्ष 2008–09 में स्कूल हेल्थ प्रोग्राम के अन्तर्गत सभी प्राथमिक विद्यालयों में First Aid Kit देने की प्रक्रिया प्रारंभ की जायेगी । टाटीसिल्वे में दंत चिकित्सा महाविद्यालय, बोकारो, दुमका, देवघर में चिकित्सा महाविद्यालय

की स्थापना हेतु एन0 ओ0 सी0 का प्रस्ताव है । राज्य के वर्तमान तीनों सरकारी मेडिकल कॉलेज में बी0एस0सी0 नर्सिंग की पढ़ाई शुरू करने की योजना है। वर्ष 2008–09 में राष्ट्रीय राजमार्ग पर ट्रामा सेंटर तथा मोबाईल हेल्थ क्लिनिक की स्थापना हेतु 5.15 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है ।

⇒ माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार राज्य में भयमुक्त प्रशासन देने के लिए वचनबद्ध है । आप अवगत हैं कि राज्य के कई क्षेत्रों में उग्रवाद की समस्या है जो कि राज्य के विकास में भी बाधक है । सरकार द्वारा इन चुनौतियों के दृढ़ता से सामना करने हेतु वर्ष 2008–09 में पुलिस प्रशासन को चुस्त–दुरूस्त करने एवं राज्य पुलिस की कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिए अनेकों कार्ययोजना तैयार की गयी है ।

⇒ माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में **राज्य सुरक्षा आयोग** एवं महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक, झारखण्ड की अध्यक्षता में **राज्य पुलिस स्थापना बोर्ड** का गठन किया गया है। राँची, जमशेदपुर, बोकारो एवं धनबाद के शहरी क्षेत्रों में अपराध अनुसंधान एवं विधि–व्यवस्था कार्यों का पृथकीकरण प्रक्रिया अन्तर्गत है।

⇒ झारखण्ड सृजन के पश्चात् राज्य पुलिस के अधीन 20,000 से अधिक पदों का सृजन किया गया है एवं 15000 से अधिक पुलिसकर्मियों की नियुक्ति की जा चुकी है। वर्ष 2007 में इंडिया रिजर्व बटालियन II एवं III के लिए 2,000 पद भी स्वीकृत कर उस पर नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारंभ की गई है। यातायात पुलिस के लिए 1500 पद, झारखण्ड सशस्त्र बल की 14 अतिरिक्त कम्पनी के गठन हेतु 1600 पद की स्वीकृति दी गई है एवं जो नियुक्ति प्रक्रिया के अन्तर्गत है। पुलिस उपाधीक्षक के 45 पद एवं पुलिस अवर निरीक्षक के 300 पदों पर भी नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारम्भ की जा चुकी है। उग्रवाद की चुनौती

को दृष्टि में लेते हुए राज्य के सूचना तंत्र को सुदृढ़ किया जा रहा है एवं **आन्ध्र प्रदेश के ग्रेहाउंड के अनुरूप विशेष कमांडो फोर्स का गठन भी किया जा रहा है।** गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 3400 स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स (एस०पी०ओ०) की स्वीकृति राज्य सरकार के प्रस्ताव पर सुरक्षा संबंधी व्यय योजना (एस०आर०ई० स्कीम) के अधीन दिया गया है। एस०पी०ओ० का चयन किया जा रहा है।

⇒ राज्य में सैटेलाईट पर आधारित एवं कम्प्यूटर से संचालित उच्च तकनीक की पुलिस संचार व्यवस्था (POLNET) स्थापित की जा रही है। अब तक 17 जिलों में उक्त संचार व्यवस्था संचालित है। पुलिस आधुनिकीकरण के तहत् राज्य के सभी जिलों में Digital Mapping (GIS) की व्यवस्था की जा रही है। राज्य सरकार द्वारा सम्पोषित पुलिस आधुनिकीकरण योजना के अधीन पुलिस संस्करण ध्रुव हेलीकॉप्टर प्राप्त किया गया है ताकि नक्सल विरोधी अभियान में लाजिस्टिक्स एवं सहाय्य त्वरित गति से उपलब्ध कराया जा सके।

⇒ राज्य के उग्रवाद प्रभावित चतरा एवं पलामू जिला में सघन सुरक्षा एवं विकास कार्यक्रम को गृह मंत्रालय, भारत सरकार की सहमति से पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चालू किया गया है। 37 उग्रवाद प्रभावित थानों के भवनों का निर्माण कार्य जारी है। गिरिडीह, कोडरमा एवं देवघर में पुलिस लाईन परिसर का निर्माण प्रारम्भ किया गया है।

⇒ प्रशिक्षण की आधारभूत संरचना को सुदृढ़ करने हेतु लातेहार जिला अन्तर्गत **School of Jungle Warfare** की स्थापना की जा रही है।

⇒ माननीय अध्यक्ष महोदय, ग्रामीण क्षेत्रों का विकास सरकार के लिए प्राथमिकता में है । राज्य की 80 प्रतिशत की आबादी गॉवों में निवास

करती है इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों के समुचित विकास के बगैर राज्य के विकास की कल्पना नहीं की जा सकती । गांवों के पिछड़ापन को दूर करने तथा ग्रामीणों के जीवन स्तर को ऊंचा करने एवं गांवों का सर्वांगीण विकास करने एवं उन्हें विकास की मुख्यधारा से जोड़ने के उदेश्य से केन्द्र प्रायोजित एवं राज्य संपोषित योजनाओं का कार्यान्वयन किया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों के विकास हेतु वर्ष 2008–09 में कुल 895 करोड़ रूपये के योजना उद्व्यय का प्रावधान है । सरकार की योजनाएं ग्रामीण विकास विभाग तथा ग्रामीण अभियंत्रण संगठन द्वारा पूरी की जाती हैं जिसके लिए क्रमशः 615 करोड़ तथा 280 करोड़ की राशि का प्रस्ताव है ।

⇒ राज्य के सभी जिले **राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना** (NREGA) योजना से आच्छादित हैं। वित्तीय वर्ष 2008–09 के लिए इस योजना अन्तर्गत राज्य योजना मद से कुल 152 करोड़ 23 लाख रूपये मात्र व्यय करने का प्रस्ताव है।

⇒ **इंदिरा आवास योजना** का उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले अनु0जाति/अनु0जनजाति के ग्रामीण लोगों, मुक्त कराए गए बंधुआ मजदूरों और गैर अनु0जाति/अनु0जनजाति श्रेणी के ग्रामीण लोगों को सहायता अनुदान मुहैया कराकर मकानों के निर्माण तथा रहने के अयोग्य कच्चे मकानों का उन्नयन करने में उनकी सहायता करना है । वित्तीय वर्ष 2008–09 के लिए इस योजना अन्तर्गत केन्द्रांश के रूप में 90 करोड़ एवं राज्यांश के रूप में 30 करोड कुल 120 करोड मात्र व्यय करने का प्रस्ताव है।

⇒ **प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना** के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2008–09 में पंचम फेज हेतु 350 करोड़ मात्र व्यय करने का प्रस्ताव हैं। वित्तीय

वर्ष 2008–09 के लिए ग्रामीण पथों के कार्यान्वयन हेतु कुल 258 करोड़ 90 लाख रू0 मात्र व्यय का प्रस्ताव है।

⇒ **स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (SGSY)** के अन्तर्गत गरीबी रेखा के नीचे जीवन–यापन करने वाले ग्रामीणों को वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराकर रोजगार मुहैया कराया जाता है। वित्तीय वर्ष 2008–09 के लिए इस योजना अन्तर्गत केन्द्रांश के रूप में 87.15 करोड़ एवं राज्यांश के रूप में 29.05 करोड कुल 116.20 करोड़ मात्र व्यय करने का प्रस्ताव है।

⇒ **डी0पी0ए0पी/आई0डब्ल्यू0डी0पी0** के अन्तर्गत बंजर भूमि को उपजाऊ बनाने, भू–गर्भ के जलस्तर को बढ़ाने तथा ग्रामीणों को स्वावलंबी बनाने का लक्ष्य है। डी0पी0ए0पी0 योजनान्तर्गत 1190 जलछाजन योजनाओं एवं आई0डब्ल्यू0डी0पी0 के अन्तर्गत 1,07,178 हेक्टेयर क्षेत्र पर कार्य किया जा रहा है। वर्तमान में सभी परियोजनाओं पर कार्य चालू है। वित्तीय वर्ष 2008–09 के लिए इस योजना अन्तर्गत केन्द्रांश के रूप में 6 करोड़ एवं राज्यांश के रूप में 2 करोड़ कुल आठ करोड़ मात्र व्यय करने का प्रस्ताव है।

⇒ **विधायक योजना** के अन्तर्गत स्थानीय आवश्यकताओं को देखते हुए आधारभूत संरचनाओं के विकास हेतु माननीय विधानसभा सदस्यों की अनुशंसा पर इन योजनाओं का कार्यान्वयन किया जाता है । इस योजनान्तर्गत 5301 योजनायें पूरी की जा चुकी है। वित्तीय वर्ष 2007–08 के लिए एक सौ चौसठ करोड़ रूपये मात्र व्यय करने का प्रस्ताव है।

⇒ **मुख्य मंत्री विकास योजना** के अन्तर्गत माननीय विधान सभा सदस्यों की अनुशंसा पर कार्यान्वित की जाने वाली योजनाओं के सदृश्य इस योजना से भी क्षेत्र के चहुंमुखी विकास के लिए स्थानीय विकास की योजनाएं कार्यान्वित की जानी हैं । **इस योजना के लिए प्रति विधायक प्रति वर्ष एक**

करोड़ रू0 व्यय करने का प्रावधान है वित्तीय वर्ष 2008–09 के लिए इस योजना अंतर्गत कुल 82 करोड़ रू0 मात्र व्यय करने का प्रस्ताव है।

⇒ **मुख्य मंत्री ग्राम सेतु योजना** के अन्तर्गत पंचायत/प्रखंडों से अनजुड़े गांवों को पुल–पुलियों का निर्माण कर जोड़े जाने की महत्वाकांक्षी योजना कार्यान्वित की जा रही है। इस योजनांतर्गत नदियों/नालों के उपर पुल बनाकर गांवों को संबद्ध किया जाता है, जिससे आवागमन की सुविधा सुलभ हो सके। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2007–08 में अबतक 42 करोड़ 68 लाख रू0 व्यय कर 31 पुल–पुलिया परियोजनाओं को पूर्ण किया गया है। वित्तीय वर्ष 2008–09 के लिए इस योजना अन्तर्गत कुल 115 करोड़ मात्र व्यय करने का प्रस्ताव है।

⇒ माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य में औद्योगिक वातावरण कायम करने के लिए तथा जनहित के लिए अच्छी सड़कें अतिमहत्वपूर्ण हैं । राज्य सरकार द्वारा पथ निर्माण प्रक्षेत्र को प्राथमिकता दी गयी है तथा वर्ष 2008–09 में 640 करोड़ रूपये के योजना उद्व्यय का प्रावधान है । राज्य गठन के पश्चात अब तक लगभग 1100 करोड़ की लागत से लगभग 3000 कि0मी0 पथों का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण एवं 50 पुल योजनाओं का निर्माण सम्पन्न किया गया है ।

⇒ राज्य में 15 आर0ओ0बी0 का निर्माण राज्य सरकार एवं रेल मंत्रालय के संयुक्त निधि से रेल मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है । कुल पूर्ण 7 आर0ओ0बी0 में 6 आर0ओ0बी0 के कार्य विगत एक वर्ष में पूर्ण किये गए । शेष आर0ओ0बी0 का कार्य शीघ्र पूर्ण होने की संभावना है ।राँची रिंग रोड के निर्माण के क्रम में प्रथम चरण में राष्ट्रीय उच्च पथ–75 के कि0मी0 114 पर करमा तक के कुल 22.8 कि0मी0 पथ, जिसकी लागत 203.89 करोड़ रूपये है,

के निर्माण का कार्य प्रारंभ कराया जा चुका है । निर्माण कार्य तीव्र गति से चल रहा है ।

⇒ राज्य में पथों के विकास हेतु **बाह्य संपोषित परियोजना** अंतर्गत **एशियन विकास बैंक के माध्यम से प्रथम चरण में गोविंदपुर–जामताड़ा–दुमका–साहेबगंज पथ के दो लेन हेतु चौड़ीकरण एवं मजबुतीकरण/उन्नयन की कार्रवाई की जा रही है** । राज्य में पथों को क्षतिग्रस्त होने से बचाने एवं सुचारू यातायात व्यवस्था हेतु लोक निजी भागीदारी पर **वाहन पड़ाव सुविधा केन्द्र** स्थापित करने का प्रस्ताव है । प्रथम चरण में यह लक्ष्य आदित्यपुर (जमशेदपुर), राँची, धनबाद, बोकारो, देवघर एवं कुजू/रामगढ़ के लिए है ।

⇒ माननीय अध्यक्ष महोदय, झारखंड राज्य के लगभग सभी जिलों के महत्वपूर्ण पर्यटक स्थलों, सम्पर्क पथों के निर्माण, नई एवं चालू योजनाओं का समग्र विकास, मार्गीय सुविधाओं का विकास, राज्य पर्यटन नीति के तहत प्रोत्साहन, देश–विदेश में राज्य पर्यटन को रोजगारोन्मुख बनाने हेतु वित्तीय वर्ष 2008–09 में कुल 160 करोड़ रूपये का योजना उद्व्यय प्रस्तावित है ।

⇒ **माननीय अध्यक्ष महोदय, आप अवगत हैं कि राज्य की कुल आबादी की 70 से 80 प्रतिशत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यकों की है जिसे हमारी सरकार मुख्यधारा में लाने का प्रयास कर रही है । इन कमजोर तबकों को समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए अनेकों कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं । इस प्रक्षेत्र के लिए वर्ष 2008–09 में 550 करोड़ रूपये की योजना उद्व्यय का प्रावधान है । हज हाउस के निर्माण का कार्य 17.07.2007 से प्रारंभ की गयी है ।**

⇒ **बिरसा मुंडा आवास योजना** का उद्धेश्य अगले 10 साल में आदिम जनजातियों को शत–प्रतिशत आवास उपलब्ध कराना है। अनुसूचित जनजातियों में अति पिछड़े 9 आदिम जातियों के कल्याण के लिए शत्–प्रतिशत अनुदान पर विशेष आवास योजना प्रारंभ की गयी है। लाभान्वितों का चयन जिला कल्याण पदाधिकारी/ मेसो पदाधिकारी के माध्यम से किया जाता है तथा इन्हीं लोगों के द्वारा ही विभागीय स्तर पर निर्माण कराया जाता है। वर्ष 2007–08 में इस मद में 24 करोड़ रूपये की स्वीकृति की गयी है एवं अब तक 26,593 कुल इकाईयाँ स्वीकृत की गई एवं उनमें से 16,000 से अधिक आवास पूर्ण की जा चुकी है।

⇒ **आदिम जाति स्वास्थ्य योजना** के अंतर्गत पहाड़िया जनजाति के लोगों को स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराना है। आदिम जनजाति दुर्गम एवं सुदूर स्थान पर अधिकतर निवास करते हैं। ये लोग सरकारी अस्पतालों में ईलाज के लिए बहुत कम जाते हैं। ये लोग जंगली जड़ी–बूटी दवा से ही अपना ईलाज करते हैं। फलस्वरूप विभिन्न तरह के बिमारियों से ग्रसित आदिम जातियों की जनसंख्या लगातार कम हो रही है। पिछले वित्तीय वर्ष से इन योजना को गैर सरकारी संस्थानों द्वारा संचालित किया जा रहा है, ताकि इन योजनओं को सफलतापूर्वक कियान्वित कराया जा सके। इनकी बीमारियों के ईलाज के लिए कल्याण विभाग द्वारा 18 स्वास्थ्य केन्द्र बनाये गये हैं। इन स्वास्थ्य केन्द्रों में महिला एवं पुरूष कार्यकर्त्ता को मानदेय पर रखा गया है। सप्ताह में एक बार डॉक्टर उन क्षेत्रों का दौरा कर बीमार व्यक्तियों का विशेष ईलाज करते हैं।

⇒ **ग्रामीण अस्पताल निर्माण** अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में सुलभ चिकित्सा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 14 मेसो क्षेत्र में एक–एक आधुनिक सुविधायुक्त 50–50 शैय्या के अस्पताल निर्माण कराया जा रहा है।

⇒ विकलांग छात्र–छात्राओं के लिए छात्रवृत्ति हेतु कक्षा 1 से स्नातकोत्तर तक सरकारी स्कूल एवं कॉलेजों में पढ़नेवाले छात्रों के लिए 50 रूपये प्रतिमाह से अधिकतम 260 रूपये प्रतिमाह तक दिये जाने का प्रावधान किया गया है । **अगर पंजीकृत गैर सरकारी संस्था द्वारा विशेष रूप से केवल विकलांगों के लिए किसी विद्यालय का संचालन किया जा रहा है** तो उसमें पढ़नेवाले नेत्रहीन, मूकबधीर, मंदबुद्धि तथा अन्य कारणों से विकलांग छात्रों को छात्रवृत्ति का लाभ सुनिश्चित किया जायगा, बशर्ते ये विद्यालय गत तीन वर्षों से नियमित रूप से संचालित हो रहा हो तथा उसके शिक्षक प्रशिक्षित हों एवं संस्था के पास शिक्षण/प्रशिक्षण हेतु विशेष उपकरण उपलब्ध है । वित्तीय वर्ष 2007–08 में इस योजना से माह फरवरी, 2008 तक कुल 2182 विकलांग छात्रों को लाभान्वित किया गया है ।

⇒ विकलांगों के बीच कृत्रिम अंग/यंत्र यथा श्रवण यंत्र, बैशाखी, ट्राईसाईकिल का वितरण किया जाता है । विकलांग लाभान्वितों के लिए योजना की आवश्यकता एवं महत्व को देखते हुए इस योजना को ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के अंतिम वर्ष तक चलाया जाना प्रस्तावित है । वित्तीय वर्ष 2007–08 में इस योजना से माह फरवरी, 2008 तक कुल 641 विकलांग व्यक्तियों को लाभान्वित किया गया है ।

⇒ **नवनिर्मित ओल्ड एज होम की** योजना महत्त्वपूर्ण है जिसके भविष्य में भी चलाने की आवश्यकता है । राज्य सरकार द्वारा अब तक राँची स्थित ओल्ड एज होम का संचालन उर्सलाईन कॉन्वेन्ट, हेसाग, राँची तथा

हजारीबाग स्थित ओल्ड एज होम का संचालन रेड क्रॉस सोसाईटी, हजारीबाग के माध्यम से कराये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है । योजना की आवश्यकता एवं महत्ता को देखते हुए इस योजना को ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के अंतिम वर्ष तक चलाया जाना प्रस्तावित है ।

⇒ **मुख्यमंत्री कन्यादान योजना** पूर्व में योजना एवं विकास विभाग के द्वारा संचालित की जा रही थी जिसे आगामी वित्तीय वर्ष से समाज कल्याण विभाग के द्वारा संचालित किया जाना है । इस योजना के माध्यम से गरीब लड़कियों के विवाह के अवसर पर राज्य सरकार द्वारा नियमानुसार आर्थिक सहायता दी जायेगी । योजना की आवश्यकता एवं महत्ता को देखते हुए इस योजना को ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के अंतिम वर्ष तक चलाया जाना प्रस्तावित है । वित्तीय वर्ष 2007–08 में इस योजना से माह फरवरी, 2008 तक कुल 3933 गरीब कन्याओं को लाभन्वित किया गया है ।

⇒ **स्वामी विवेकानंद निःशक्त स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना** के अंतर्गत झारखंड राज्य में निवास कर रहे विभिन्न श्रेणियों के निःशक्त व्यक्तियों को राज्य सरकार की ओर से प्रतिमाह 200 रूपये की सम्मान राशि की भुगतान करने का निर्णय सरकार के द्वारा लिया गया है । योजना की आवश्यकता एवं महत्ता को देखते हुए इस योजना को ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के अंतिम वर्ष तक चलाया जाना प्रस्तावित है । वित्तीय वर्ष 2007–08 में इस योजना से माह फरवरी, 2008 तक कुल 74,567 विकलांग व्यक्तियों को लाभान्वित किया गया है।

⇒ माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य में पूर्व से स्थापित औ0 प्र0 संस्थानों को पूर्ण वित्तीय सहायता प्रदान करने एवं धनबाद में पूर्व से स्थापित औ0 प्र0 संस्थान को उत्कृष्ट कोटि की श्रेणी में उत्क्रमित करने के उद्धेश्य से

राज्य योजना में राशि का प्रावधान प्रस्तावित है। पब्लिक प्राईवेट पार्टनरशीप के आधार पर चाईबासा एवं पलामू में औ0प्र0संस्थान को उन्नयन करने का भी प्रस्ताव है। औ0 प्र0 संस्थान के आधारभूत संरचना के साथ–साथ नये अनुदेशकों को नियुक्त करने का प्रस्ताव हैं ताकि अकुशल नवयुवकों को तकनीकी रूप से कुशल कर्मी बनाया जा सके। **वर्ष 2008–09 में इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना में कुल रूपये 347 करोड़ 19 लाख रूपये का बजट प्रावधान किया गया है।**

⇒ **आम आदमी बीमा योजना** अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा आम आदमी बीमा योजना ग्रामीण भूमिहीन परिवारों के 18 से 59 वर्ष के अर्जनकर्त्ता के लिए वर्ष 2008–09 से लागू किया जा रहा है। **बीमित व्यक्ति के दुर्घटना में मृत्यु/अंग भंग में 75 हजार रूपये तथा एक अंग भंग में 37 हजार पॉच सौ रूपये बीमा राशि देय होगा।** प्रभावित बीमित व्यक्ति के अधिकतम 2 पुत्र/पुत्री जो वर्ग 9 से 12 में पढ़ रहे हो, को प्रति बच्चे 100 रूपये प्रतिमाह के दर से छात्रवृत्ति का भी भुगतान किया जायेगा। इसके लिए झारखण्ड राज्य में 312000 भूमिहीन व्यक्तियों के लिए राज्य सरकार द्वारा 50:50 प्रतिशत के आधार पर वर्त्तमान वित्तीय वर्ष 2008–09 में 3 करोड़ 12 लाख रूपये राज्यांश मद में प्रावधान किया गया । केन्द्र सरकार द्वारा 3 करोड़ 12 लाख रूपये की प्रतिपूर्ति जीवन बीमा निगम को किया जायेगा ।

⇒ **ग्रामीण प्रशिक्षण शिविरों का आयेाजन एवं कार्यशाला** अंतर्गत जन प्रतिनिधियों, श्रमिक संघों, सरकारी कर्मचारियों एवं स्वयंसेवी संगठनों इत्यादि को राज्य में संचालित विभिन्न श्रम कानूनों के प्रावधानों के प्रति जागरूकता पैदा करने एवं शिक्षित करने के उद्देश्यों से विभिन्न स्तरों यथा जिला, अनुमण्डल एवं प्रखण्डों में इस योजना के अन्तर्गत ग्रामीण प्रशिक्षण

शिविरों एवं प्रखण्डों में इस योजना के अन्तर्गत ग्रामीण प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन एवं कार्यशाला का गठन किया जायेगा ।

⇒ बाल श्रमिक प्रतिषेध एवं विनियमन अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत राज्य के विभिन्न जिलों में अवस्थित खतरनाक एवं गैर खतरनाक उद्योग एवं व्यवसायों में 14 वर्ष से कम उम्र के बाल श्रमिकों के नियोजन पर रोक लगाने के उद्धेश्य से बाल श्रमिकों का गहन सर्वेक्षण एव उनकी समस्याओं की प्रकृति के संबंध में राज्य सरकार को उचित परामर्श दने के लिए **झारखंड बाल श्रमिक आयोग** का गठन किया जा चुका है।

⇒ **बीड़ी कामगारों के लिये आवास निर्माण योजना** के अंतर्गत बीड़ी श्रमिकों के लिये इंदिरा आवास निर्माण योजना के तर्ज पर प्रति आवासीय यूनिट रूपये **40 हजार रूपये की दर से एक हजार आवासों के निर्माण हेतु वित्तीय वर्श 2008–09 में 4 करोड़ रूपये का उद्व्यय प्रस्तावित है।**

⇒ **बीड़ी श्रमिकों के लिए अस्पताल का निर्माण योजना** के अंतर्गत बीड़ी श्रमिकों के स्वास्थ्य जॉच हेतु राज्य के **बीड़ी बहुल क्षेत्र यथा संथाल परगना एवं पश्चिमी सिंहभूम जिला में अस्पताल निर्माण करने का प्रस्ताव है।**

⇒ **राश्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना** के अन्तर्गत राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा के प्रावधानों को राज्य में कार्यान्वित करने के उद्देश्य से वर्ष 2008–09 में असंगठित क्षेत्रों में कार्यरत श्रमिकों एवं उनके परिवार के सदस्यों के कल्याण हेतु बीमा कराने के लिए 15 करोड़ 60 लाख रूपये का उद्व्यय प्रस्तावित है जिसमें एक प्रतिशत प्रशासनिक व्यय शामिल है।

⇒ **बाल श्रमिकों की पुनर्वास योजना** के अन्तर्गत विभिन्न खतरनाक एवं गैर खतरनाक उद्योग एवं व्यवसायों में नियोजित बाल श्रमिकों के

विमुक्त करने के पश्चात् उन्हें व्यावसायिक प्रशिक्षण देने हेतु राज्य के रॉची एवं चाईबासा में एक–एक आवासीय विद्यालय–सह–व्यवसायिक केन्द्र की स्थापना करने हेतु वर्ष 2008–09 में एक करोड़ रूपये का उद्व्यय प्रस्तावित है।

⇒ श्रम विभाग के विभिन्न स्तर के पदाधिकारियों यथा श्रम अधीक्षक, कारखाना निरीक्षक, एवं श्रम प्रवर्तन पदाधिकारियों इत्यादि को प्रशिक्षण देने एवं उनके कार्य दक्षता में वृद्धि लाने के उद्धेश्यों से वी0 वी0 गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नोएडा (उ0प्र0) के तर्ज पर रॉची में एक राज्य श्रम संस्थान की स्थापना हेतु वित्तीय वर्ष 2008–09 में एक करोड़ रूपये का उद्व्यय प्रस्तावित है जिमसें प्रथम फेज में उक्त संस्थान हेतु निर्माण किया जाना शामिल है।

⇒ माननीय अध्यक्ष महोदय, **फसल बीमा योजना** भारत सरकार के निदेश पर लागू राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के तहत वर्ष 2007 के खरीफ मौसम में कुल 7,00,997 किसानों के अधिसूचित फसलों का बीमा कराया गया, जिसमें से गैर ऋणी कुल 6,41,949 किसानों का बीमा प्राथमिक सहकारी समितियों लैम्पस/पैक्स एवं सहकारी बैंकों इत्यादि के माध्यम से कराया गया। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के तहत चालू वित्तीय वर्ष 2007–08 में कुल 57,885 किसानों को उनके बीमित फसलों के लिये कुल 6.25 (छः करोड़ पच्चीस लाख) करोड़ रूपया क्षतिपूर्ति के रूप में भुगतान किया गया है। आगामी वित्तीय वर्ष 2008–09 में कुल दस से बीस लाख किसानों के फसलों का बीमा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है तथा इसके लिये वित्तीय वर्ष 2008–09 में 740.00 लाख (सात सौ चालीस) रूपये का प्रस्ताव है।

⇒ **राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम** के द्वारा वित्त सम्पोषित कुल 15 करोड़ 92 लाख रूपये की समेकित सहकारी विकास परियाजना, हजारीबाग, देवघर एवं दुमका में कार्यान्वित की जा रही है। इस योजना का कार्यान्वयन 31

दिसम्बर, 2008 तक पूरा किया जायेगा। प्रासंगिक परियोजना के तहत ग्रामीण एवं कृषि अर्थव्यवस्था के विकास के लिये विशेष प्रकार की सहकारी समितियों के साथ ही लैम्पस/पैक्स को आर्थिक रूप से स्वावलम्बी बनाने के लिए आधारभूत संरचना के विकास हेतु गोदाम सह कार्यालय भवन का निर्माण, जमावृद्धि योजना के संचालन हेतु लॉकर, काउण्टर, फर्नीचर इत्यादि की व्यवस्था एवं कृषि इनपुट उपलब्ध कराने के लिए व्यवसाय विकास हेतु मार्जिन मनी उपलब्ध कराने का कार्य किया जाता है। आगामी वित्तीय वर्ष 2008–09 में इस परियोजना को राज्य के दस नये जिलों यथा – साहेबगंज, गोड्डा, धनबाद, पूर्वी सिंहभूम, लोहरदगा, पाकुड़, जामताड़ा, कोडरमा, पलामू एवं चतरा में लागू करने का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। इस नई योजना के लिये वित्तीय वर्ष 2008–09 में 21 करोड़ रूपये प्रस्तावित है।

⇒ राज्य सरकार के द्वारा झारखण्ड राज्य के लिये **राज्य सहकारी बैंक** के गठन हेतु निर्णय लिया गया है, जिसके आलोक में नाबार्ड अधिनियम, 1981 की धारा 2(U) के तहत धनबाद जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक को राज्य सहकारी बैंक के रूप में अधिसूचित किया गया है और इसका संचालन प्रारम्भ करने के लिये आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।

⇒ माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार सरकारी क्षेत्र में बारह नये पोलिटेकनिक संस्थान की स्थापना यथा– मेदनीनगर, बहरागोड़ा, गुमला, महेशपुर (पाकुड़), चांडिल, सरायकेला खरसॉवा, रामगढ़, जगरनाथपुर, भवनाथपुर, हुसैनाबाद, रॉची एवं सिल्ली में करने जा रही है।

⇒ राजकीय क्षेत्र के अन्तर्गत देवघर में तत्कालिक रूप में एक नये इंजीनियरिंग कॉलेज का शुभारम्भ देवघर स्थित पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान के भवन में किया गया है। प्रथम सत्र में 150 छात्रों का नामांकन लिया गया है।

अगले वर्ष प्रवेश क्षमता वृद्धि कर 240 किया जायेंगा। इस इंजिनियरिंग कॉलेज का संचालन संप्रति बी0आई0टी0, मेसरा प्रबंधन द्वारा किया जा रहा है। इसके साथ ही चाईबासा, एवं रामगढ़ में भी सरकारी क्षेत्र में अभियंत्रण महाविद्यालय की स्थापना सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमो के द्वारा किया जा रहा है। प्रस्तावित इन तीनों इंजिनियरिंग कॉलेजों में भी प्रतिवर्ष 240 छात्र/छात्राएँ नामांकित होगें। डाल्टेनगंज में डी0ए0वी0 द्वारा नये इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना की जा रही हैं। निर्माण कार्य प्रगति पर है। दुमका में इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना हेतु माननीय वित्त मंत्री द्वारा दिनांक 27.12.2007 को शिलान्यास किया गया है। इंजीनियरिंग कॉलेज के निर्माण हेतु राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम लि0 का चयन किया गया है। निर्माण कार्य शीध्र प्रारम्भ किया जा रहा है। चाईबासा एवं रामगढ में भी इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना की जा रही है।

⇒ जिला स्तर पर विज्ञान को लोकप्रिय बनाने की दिशा में छः जिलों यथा–हजारीबाग, देवघर, बोकारो, दुमका, धनबाद एवं पलामू का निर्माण कार्य अंतिम चरण में है। इन केन्द्रो की स्थापना से वैज्ञानिक जानकारी छात्र/छात्राओं एवं आम–व्यक्तियों को जिला स्तर पर ही प्राप्त हो जायेगी। देवघर जिला विज्ञान केन्द्र में मिनी तारामंडल का निर्माण भी समावेशित है। आवश्यकतानुसार अन्य जिलों में भी वर्तमान योजना का विस्तार किया जायेगा।

⇒ माननीय अध्यक्ष महोदय, **राजीव गाँधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना** के तहत राज्य के 19,239 अविद्युतीकृत गाँवों को वर्ष 2009 तक विद्युतीकृत करने की योजना है। इस योजना का वित्तीय पोषण 90 प्रतिशत अनुदान एवं 10 प्रतिशत ऋण के रूप में विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार की अनुशंसा पर आर०ई०सी० द्वारा किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2008–09 में आर०ई०सी० द्वारा उपरोक्त योजना के विरूद्ध ऋण के रूप में उपलब्ध करायी

जाने वाली राशि एवं उस पर देय ब्याज की राशि के विरूद्ध 125 करोड. रु० का योजना उद्व्यय एवं बजट प्रावधान प्रस्तावित है।

⇒ **ए०पी०डी०आर०पी०** कार्यक्रम अन्तर्गत राज्य के 13 शहरों (राँची, दुमका, हजारीबाग, जमशेदपुर, घाटशीला, धनबाद, देवघर, कतरास, चास, झरिया, डाल्टेनगंज, लातेहार एवं गढ़वा) में पुराने तारों को बदलने तथा, ट्रांसफर्मर क्षमता के विस्तारीकरण की योजना है ।

⇒ माननीय अध्यक्ष महोदय, संयुक्त वन प्रबंधन के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु कुल 10,903 ग्राम वन समितियां गठित गई है। समिति के माध्यम से कुल 21,860 वर्ग कि0मी0 वन क्षेत्रों का प्रबंधन एवं संरक्षण का कार्य प्रगति पर है । राज्य सरकार द्वारा लिए गए नीतिगत निर्णय के आलोक में राज्य के 31 प्रादेशिक वन प्रमण्डलों तथा 4 वन्य प्राणी प्रमण्डलों में कुल 35 वन विकास अभिकरण गठित एवं निबंधित किए गए हैं। राष्ट्रीय वनीकरण एवं पारिस्थितिकी विकास बोर्ड, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा राष्ट्रीय वानिकी कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य के 32 वन विकास अभिकरणों के लिए 155 करोड़ रू0 का वित्तीय लक्ष्य निर्धारित किया है इस राशि से 88025 हे0 वन क्षेत्र में वृक्षारोपण किया जाना है। दिसम्बर, 2007 तक 47292 हे0 क्षेत्र में वनरोपण किया गया है। वर्तमान में राष्ट्रीय वानिकी कार्यक्रम 1743 वन ग्राम सुरक्षा समितियों के माध्यम से किया जा रहा है।

⇒ माननीय अध्यक्ष महोदय, सभी सरकारी आवासीय एवं गैर आवासीय भवनों का निर्माण तथा संधारण राज्य के हित में है। अच्छे भवनों का निर्माण एवं इसका स्वच्छ संधारण सरकार की छवि को भी प्रतिबिम्बित करता है । इसी उद्देश्य से सरकार द्वारा वर्ष 2008–09 में नयी योजनाएं प्रारंभ करने का प्रस्ताव है । **राज्य के जिला मुख्यलयों में ऐसे कार्यालय भवन, जिनमें**

आम जनता काफी संख्या में आती है, में उनकी सुविधा के लिए विभाग के द्वारा प्रतीक्षा गृह बनाया जा रहा है जिसमें उनके बैठने के अलावा महिला एवं पुरूष शौचालय तथा पेय जल आपूर्ति की व्यवस्था की गई है, इसको **जनसुविधा भवन** का नाम दिया गया है तथा इन्हें अनुमंडलीय/प्रखंड/ पंचायत स्तर तक विस्तारित किया जा रहा है । झारखंड भवन, नई दिल्ली का निर्माण तथा राज्य के आठ जिलों में समाहरणालय भवन का निर्माण कार्य प्रगति पर है । इसके अलावे 187 फास्ट ट्रैक कोर्ट का निर्माण कार्य भी किया जा रहा है ।

⇒ माननीय अध्यक्ष महोदय, विगत कुछ वर्षों में झारखंड के खिलाड़ियों ने अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के खेलों में झारखंड का नाम रौशन किया है । राज्य सरकार का यह दायित्व बनता है कि ऐसे प्रतिभावान खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की आधारभूत संरचना उपलब्ध कराने हेतु वर्ष 2008–09 में सरकार द्वारा नयी योजनाएं लाने का प्रस्ताव है । प्रत्येक जिला मुख्यालय में एक आउटडोर एवं एक इनडोर स्टेडियम की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु आवश्यकतानुसार स्टेडियम का निर्माण / जीर्णोद्धार कराया जाएगा। प्रत्येक जिला के तीन प्रखण्ड में स्टेडियम निर्माण कराया जाएगा तथा चयनित खेल मैदानों को विकसित किया जाएगा। इससे बेहतर खेल सुविधा उपलब्ध होगी। मेगा स्पोर्टस कॉम्पलेक्स स्थित सभी खेल संरचनाओं यथा मुख्य स्टेडियम, 3 इन्डोर स्टेडियम, एक्वेटिक कॉम्प्लेक्स, खो–खो कबड्डी, टेनिस कोर्ट, शुटिंग रेंज, प्रशासनिक भवन, पहुँच पथ आदि निर्माण कार्य पूर्ण कराए जायेंगे। यहाँ अंतरराष्ट्रीय स्तर की खेल सुविधा उपलब्ध होगी। **खुटी में हॉकी अकादमी एवं राँची में फुटबॉल अकादमी खोला जाएगा।** इससे बेहतर खेल प्रशिक्षण सुविधा उपलब्ध होगी। अंतरराष्ट्रीय/राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में पदक पाने की सम्भावना वाले

खिलाड़ियों के उच्च प्रशिक्षण एवं शिक्षा हेतु प्रायोजित किया जाएगा। इससे बेहतर खेल प्रशिक्षण सुविधा उपलब्ध होगी।

⇒ माननीय अध्यक्ष महोदय, आप अवगत हैं Information Technology के क्षेत्र में भारत ने पूरे विश्व में अपना परचम लहराया है । झारखंड राज्य को Information Technology के मानचित्र पर लाने के लिए इस प्रक्षेत्र में ठोस उपाय करने की आवश्यकता है । राज्य में High Skilled Manpower/Professional तैयार करने के उद्देश्य से IIIT स्थापित करने के लिए कृत संकल्प है । साथ ही साथ I.T. भवन भी अलग से तैयार करना चाहती है । राज्य में I.T. Infrastructure को विकसित करने के उद्देश्य से I.T. Park की स्थापना प्रस्तावित है । जिसके लिए राज्य सरकार भूमि उपलब्ध करायगी । Infrastructure विकसित करने के पश्चात् I.T. सेक्टर की कंपनियों को आमंत्रित किया जाएगा । इस कार्य के लिए जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना के तहत 5 करोड़ रू0 की राशि व्यय करने हेतु प्रस्तावित है ।

⇒ वर्ष 2008–09 के बजट अनुमानों का मैं संक्षिप्त रूप से विवरण प्रस्तुत कर रहा हूं । सरकार द्वारा 18 हजार 9 सौ 89 करोड़ 72 लाख रूपये का बजट प्रस्तावित है। गैर योजना मद में 9 हजार 3 सौ 36 करोड़ 77 लाख रूपये तथा कुल योजना मद में 9 हजार 6 सौ 52 करोड़ 95 लाख रूपये रखने का प्रस्ताव है ।

⇒ माननीय अध्यक्ष महोदय, इस आय–व्ययक में गैर योजना मद में अनुमानित प्राक्कलन से मात्र 3.81 प्रतिशत की मामूली वृद्धि हुई है जबकि योजना मद में 28.03 प्रतिशत की वृद्धि प्रस्तावित है ।

⇒ माननीय अध्यक्ष महोदय, वित्तीय वर्ष 2008–09 में कर के रूप में राजस्व प्राप्ति 10 हजार 811 करोड़ 42 लाख रूपये अनुमानित है जो पिछले वर्ष की तुलना में 29.55 प्रतिशत अधिक है । आगामी वर्ष का राजस्व आधिक्य (Surplus) कुल राजस्व प्राप्तियों का 13.94 प्रतिशत रहना अनुमानित है । फलस्वरूप सरकार को आंतरिक संसाधन के रूप में अतिरिक्त राशि उपलब्ध हो पायेगी जिसका उपयोग पूंजीगत कार्यों, आधारभूत संरचनाएं एवं कल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन में किये जा सकेंगे। । राज्य सरकार विकास दर में उत्तरोत्तर वृद्धि की आशा रखती है । वित्तीय वर्ष 2008–09 के बजट में राज्य सरकार को विकास दर में 13.5 प्रतिशत (At current price) वृद्धि की आशा है ।

⇒ माननीय अध्यक्ष महोदय, बारहवें वित्त आयोग के अनुशंसा के अनुसार झारखंड राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2007 लागू किया गया जिसके आधार पर भारत सरकार से प्राप्त ऋण को समेकित कर कम व्याज दर तथा ऋणों की माफी की सुविधा मिलेगी । सरकार की कुशल वित्तीय प्रबंधन का लाभ राज्य सरकार को राजस्व आधिक्य के रूप में फलित हुआ है। नवसृजित राज्य होने एवं अनेकों कठिनाईयों के बावजूद सरकार योजनाओं के कार्यान्वयन एवं ससमय सम्पादन के लिए प्रतिबद्ध है । राजस्व आधिक्य सरकार की मानसिक दृढ़ता का ही परिचायक है, इसे मैं इस रूप में अभिव्यक्त करना चाहूंगाः–

"कौन कहता है कि आसमां में छेद नहीं होता,
एक पत्थर तबीयत से उछालो तो जरा ।"

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं वर्ष 2008–09 का वार्षिक वित्तीय विवरण सभा पटल पर रख रहा हूं । साथ ही झारखंड राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं

बजट प्रबंधन अधिनियम, 2007 की अपेक्षानुसार राजकोषीय क्षेत्र में राज्य सरकार की नीतिगत प्राथमिकताएं, मध्यावधि राजकोषीय योजना विवरण एवं प्रकटीकरण विवरण मैं सभा पटल पर रख रहा हूं । अन्य बजट पत्रों के साथ अनुदान की मांगें भी प्रस्तुत की जा रही हैं ।

"जोहार झारखंड"